विभाग का नाम :- रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसायिटी

विभाग का पता:- पुराना कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 71
दिनांक:- 15.12.2023
प्रश्नकर्त्ता का नाम:- श्री शरद चौहान
क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) जानकारी दें कि यदि (66)1 में दोष सिद्ध हो जाता है तो क्या आरसीएस–डीसीसए एक्ट की धारा (66)2 में केस बंद कर सकता है, नियम की जानकारी दें;	रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में लंबित मामलों का निर्णय तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायोचित प्रक्रिया द्वारा लेते हैं। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) इस प्रकार है, "जहां उपधारा 1 के अधीन कोई जांच की जाती है, वहां पंजीयक, सबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि वह धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का, ऐसी दर पर ब्याज सहित, प्रतिसंदाय करे या उसे प्रत्यावर्तित करे या ऐसी सीमा तक अभिदाय और खर्च या प्रतिकर का संदाय करे जो कि पंजीयक न्यायोचित और साम्यापूर्ण समझे।" पंजीयक, डीसीएस अधिनियम 2003 और नियम की धारा 66(2) के तहत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले को बंद भी कर सकता है।
(ख) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की कितनी जांच विभाग में चल रही है और कब से चल रही है, सभी की सूचना दें;	वर्तमान में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से संबंधित दो जांच पहले से लंबित हैं जिनमें से पहली जांच आम सभा की बैठक जो कि दिनांक 25/09/2022 को हुई थी उसके संबध में विभाग को शिकायते प्राप्त हुई थी तदानुसार डी.सी.एस एक्ट की धारा 61 के अन्तर्गत एक निरिक्षक अधिकारी को नियुक्त किया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है जो कि 6 जुलाई 2023 से चल रही है और दूसरी जांच एक मेम्बर से शिकायत बैंक के कुछ कर्मचारियों को हटाने के बारे में साल 2017 में प्राप्त हुई थी। जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया की 4 कर्मचारियों को कर्मचारी सेवा नियमावली के विरूद्ध नियुक्त किया गया है तदनुसार एक जाँच अधिकारी डी.सी.एस एक्ट की धारा 66(1) के तहत नियुक्त किया गया जो कि बैंक के अधिकारियों के आचरन की जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट विभाग में जमा करेगा जो कि 6 जुलाई 2023 से चल रही है।

(ग) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की कितनी जांच 66 (2) में आरसीएस ने बंद की, सभी की सूचना दें एवं आदेश की प्रति दें;	पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा 19.09.2023 को 66(2) के तहत एक केस का निर्णय लिया गया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 20.09.2023 को डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 66(2) के तहत दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम श्री राजेश शर्मा और अन्य के मामले का फैसला किया है। आदेश की प्रति संलग्न है (अनुलग्नक ए)। डीसीएस की धारा 66(2) के तहत दो अन्य केसों की सुनवाई पुनः आरंभ की गई है। जिसमें एक केस दिवाली त्योहार के अवसर पर अपने कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों को उपहार वितरित करते समय 2010–2013 की अवधि के दौरान बैंक की प्रबंध समिति द्वारा धन के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया है एवं दूसरा डीएनएसबी में वित्तीय/प्रशासनिक कुप्रबंधन और अनियमितताओं जैसे एनपीए की बढ़ती प्रवत्ति, लगभग 80 प्रतिशत फर्जी ऋण वितरण और बैंक की लाजपत नगर, बदरपुर और करावल नगर शाखाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मुददों के संबंध में है। उपरोक्त केसों की अगली सुनवाई की तारीख 19/12/2023 है।
(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में U/S 37 की कोई सुनवाई चल रही थी और उसमें दिल्ली हाई कार्ट के आदेश थे परन्तु आरसीएस ने वह सुनवाई यह कहकर बंद कर दी कि बोर्ड बदल गया है;	जी हां। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 15/11/2021 को W.P.(C) संख्या 13026/2019 को निस्तारण करते हुए निम्नलिखत निर्देश दिया था: इस परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को अपनी सभी दलीलों के साथ कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका का निपटारा करते हैं। प्रतिवादी को उन सभी दलीलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है जो याचिकाकर्ता कारण बताओं नोटिस के जवाब में उठा सकता है। प्रतिवादी इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 37(1) के तहत कार्यवाही इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मददेनजर उचित उपाय है। उपरोक्त आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पंजीयक को धारा 37(1) के तहत कार्यवाही की उचितता पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मददेनजर विचार करने को निर्देश दिया गया था।
(ड.) यदि हां, तो हाईकोर्ट का आदेश ना	धारा 37(1) के अंतर्गत वर्तमान प्रबंधन कमेटी को हटाए

ानने पर पूर्व आरसीएस पर क्या कार्यवाही हो सकती है;	जाने की कार्यवाही का प्रावधान है। प्रबंधन कमेटी अगर पहले से ही हट चुकी हो तो उस पर धारा 37(1) में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
(च) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में एजीएम के नाम पर लाखों रूपये का घोटाला हुआ है, इसकी शिकायत पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई;	मामले में डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत एक निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसके विषय में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष अपील में चला गया है और वित्तीय आयुक्त द्वारा इस मामले पर रोक लगा दी गई है, केस अभी वित्तीय आयुक्त के समक्ष लंबित है। इस विषय में विभाग द्वारा एक शपथ पत्र वित्तीय आयुक्त के सम्मुख उत्तर देने वाले प्रतिवादी के खिलाफ याचिककर्ताओं की वर्तमान याचिका को खारिज करने के लिए दाखिल की गई है। संबंधित केस की अगली सुनवाई की तारीख 14/12/2023 है।
(छ) विगत वर्षों में ऑडिट को लेकर कितनी–कितनी शिकायतें दिल्ली सहकारी बैंक की आईं एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई;	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के विरूद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है, तदोपरान्त दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का विशेष ऑडिट करने के लिए पुनः विशेष ऑडिटर नियुक्त किया गया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार है।
(ज) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की स्पेशल ऑडिट के आदेश होने से अब तक क्या--क्या कार्यवाही हुई, सभी की सूचना दें और इसमें हुई देरी के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं, सूची दें, और	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार M/s ADB & Associates (B-30) को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की वित्तीय वर्ष 2018–19 के स्पेशल ऑडिट कराने के लिए पत्र संख्या AR/Audit/2021/RCS/1208-10 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा नियुक्त किया गया था। M/s ADB & Associates (B-30) ने ऑडिट रिर्पोट उचित समय में आरसीएस कार्यालय में जमा नहीं कराई, तदोपरान्त आरसीएस द्वारा M/s APT & Co. (A-26) को पत्र संख्या AR/(Audit)/2023/RCS/427-430 दिनांक 04.09.2023 के द्वारा नियुक्त किया गया। अभी तक स्पेशल ऑडिट रिर्पोट इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में विभाग द्वारा एक अनुस्मारक दिनांक 13/12/2023 को M/s APT & Co. (A-26) एवं दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को भेजा गया है।
(झ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक वन टाइम सेटलमेंट की कोई स्कीम लाया है ओर उसके नाम पर जो खाते हैं उन्हें सेटल	जी हां, बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 08.06.2023 के निर्देशों के अनुरूप और उनके परिपत्र संख्या आरबीआई/2023–24/40.DOR.STR.REC.20/21.04.

कर दिया गया है, सेटल किए गए सभी खातों की सूची उपलब्ध करवाएं?	048/2023--24 के अनुसार समझौता निपटान/तकनीक राइट–ऑफ/एकमुश्त निपटान (आटीएस) योजना के लिए रूपरेखा तैयार की है। पुराने एनपीए को निपटाने के लिए, बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना को लागू करने में उचित सावधानी बरती जा रही है। निपटान किए गए एनपीए खातों के संबंध में विवरण एक व्यक्तिगत गोपनीय ग्राहक जानकारी है। तथापि विभाग ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को निर्देश दिया है कि भाग (1) को उत्तर पूरा नहीं है और बैंक उक्त निपटान योजना के तहत निपटाए गए कुल मामलों की सम्पूर्ण जानकारी और अब तक निपटाए गए एनपीए का प्रतिशत प्रस्तुत करे। जैसे ही बैंक से जानकारी प्राप्त होगी सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

A. K. SINGH, IAS
Registrar Co-operative Societies
Govt. of N.C.T. of Delhi
Parliament Street, New Delhi-110001

1211c

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY DELHI
IN THE COURT OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES
OLD COURT BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001

F.47/AR/Banking/2015-16/C.D No. 107368010/6093-6099 Dated: 20/09/2023

In the matter of : -
DELHI NAGRIK SEHKARI BANK LTD. ....COMPLAINANT

VERSUS

SH. RAJESH SHARMA
SH. NEERAJ TYAGI
SH. SANTOSH KUMAR
SH. SHIV KUMAR ....RESPONDENTS

ORDER

This Order shall dispose of the proceedings initiated U/s 66 (2) of DCS Act, 2003 vide Show Cause Notice dated 08.11.2019 against Sh. Rajesh Sharma, Ex-Director, Sh. Shiv Kumar Sharma, Sh. Santosh Kumar Sharma, Sh. Neeraj Kumar Tyagi, Ex-Manager of Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd.

Whereas, a complaint dated 18.01.2016 was received from the Ex- CEO of the Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd. under the title "irregularities in enrolment of members of Karawal Nagar Branch of the bank".

Whereas, it was informed that Sh. Santosh Kumar Sharma, Daftri (dismissed) shared the conveyance charges illegally claimed by Sh. Shiv Kumar Sharma, Jr. Clerk. Further, in the saving account of Sh. Santosh Kumar Sharma, Daftri an amount of Rs. 18,67,135/- was deposited during the period of 01.01.2012 to 31.07.2014 under the instructions of Sh. Rajesh Sharma, Ex-Director. This amount was utilized for opening of accounts of prospective new members in the Bank. The amount of Rs. 18,67,135/- was of Sh. Rajesh Sharma as per the statement of Sh. Santosh Kumar Sharma.

Whereas, it was informed that Sh. Shiv Kumar Sharma, Jr. Clerk (dismissed) used to illegally claim conveyance under the verbal instructions of Sh. Rajesh Sharma, Ex-Director and half of conveyance charges claimed were given to Sh. Santosh Kumar Sharma, Daftri. Whereas, the conveyance charges so claimed amounts to Rs. 1,70,595/- which is misappropriation of funds of the bank by Sh. Shiv Kumar Sharma, Jr. Clerk and Sh. Santosh Sharma, Daftri (now dismissed) and is thus to be recovered from them.

Whereas, it was further alleged in the complaint dated 18.01.2016 that Sh. Neeraj Kumar Tyagi, manager (dismissed) was not only grossly negligent in performing his duties as Manager of Karwal Nagar branch but also abused his official position by allowing above mentioned activities with an ulterior motive which amounts to working against the interest of the cooperative bank.

True copy

Whereas, the facts mentioned in the letter of the Officiating CEO showed that Sh. Rajesh Sharma Ex-Director was interfering in the day to day affairs of Karawal Nagar Branch which is clearly in violation of Para 2 of RBI master circular on BOD, UCBs.

Whereas vide inspection order dated 14.06.2017, Sh. Vinay Kaushik, SREO was appointed as the Inspection Officer to conduct the inspection u/s 61 of the DCS Act, 2003, Sh. Vinay Kaushik filed inspection report on 31.10.2017 and stated in his inspection report that the allegation made against the above named four were found to be correct/proved.

Whereas, to examine the matter further an inquiry was ordered vide letter dated 15.01.2018 appointing Sh. PC Jain, Spl. Director, WCD as Inquiry Officer who gave his inquiry report on 21.05.2018 U/s 62 of the DCS Act, 2003 and he also agreed with the contents of the complaint, inspection report and has stated in his inquiry report that the allegations made were correct and stand established.

Whereas to conduct further enquiry U/s 66(1) of DCS Act, 2003 into the matter, Sh. Sanjay Sharma was appointed as Inquiry Officer vide order no F.No.AR/Bkg/C.D. No. 107368010/2019/888 dated 18.01.2019.

Whereas, Sh. Sanjay Sharma, I.O. has now submitted his report U/s 66(1) dated 09.10.2019 bringing out various lapses on the part of 1. Sh Rajesh Sharma, Ex-Director 2 Sh. Neeraj Kumar Tyagi, Manager (Dismissed) 3. Sh. Shiv Kumar Sharma, Junior Clerk (Dismissed) 4. Sh. Santosh Kumar Sharma, Daftry (Dismissed) and held them responsible for their negligence as detailed in the said report.

Whereas, a Show Cause Notice U/s 66 (2) of DCS Act, 2003 was issued to above mentioned officials providing them an opportunity of personal hearing and present their case on 22.11.2019.

Thereafter, further proceedings were held in the matter and replies were filed from the Respondents in their defence. Further the Bank had also filed written submissions in the matter where the bank has submitted a list of Loan accounts in the Delhi Nagrik Sehkari Bank ltd.

After perusal of the replies of the Respondents and submissions of the Bank, it is noted that there was a complaint regarding "irregularities in enrolment of members of Karawal Nagar Branch of the bank". It has been alleged that the respondents have enrolled 240 members in the bank. Sh. Upender Garg, the then CEO of the Bank alleged that as per the 438 re-verification done by the officials/staff of the Bank, 255 members were come to the notice of the Bank who were not residing at the address available on record. Further it has been noted that approx. 59 members out of 240 of these members also availed the loan from the Bank. However, the Bank clarified that 56 loans out of the sanctioned 59 loans has already been recovered and only three loan accounts are pending as on date which are also regular loan accounts and the bank submitted that the recovery from these accounts will be made as per procedure. Further, the respondents as well as the Bank submitted that no financial loss has been occurred to the bank.

In view of the above mentioned facts and observations, undersigned is of the considered opinion that as there is no financial loss to the Bank caused due to allegations against Sh. Rajesh Sharma, Ex-Director, Sh. Shiv Kumar Sharma, Sh. Santosh Kumar Sharma, Sh. Neeraj Kumar Tyagi, Ex-Manager of Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd. and most of the loans are fully recovered. Hence, no surcharge/penalties can be imposed on aforesaid for recovery. Therefore , there is no case made out against the respondents under section 66(2) of DCS Act, 2003 and the proceedings against the respondents u/s 66(2) of DCS Act, 2003 are accordingly dropped.

19/09/23

Krishan Kumar
Registrar Cooperative Societies

Sent To:-

1. Sh. Santosh Kumar Sharma
2. Sh. Shiv Kumar Sharma
3. Sh. Neeraj Tyagi
4. Sh. Rajesh Sharma

through The CEO, Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd., 3C/5, Opp. Liberty Cinema, New Rohtak Road, Delhi-110005 with direction to file proof of service on all 4 respondents on record.

5. The CEO, Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd., 3C/5, Opp. Liberty Cinema, New Rohtak Road, Delhi-110005 with direction to file proof of service on record.
6. ARCS Banking O/o RCS.
7. Incharge Computer Cell with direction to upload on Department Website.

19/09/2023

Krishan Kumar
Registrar Cooperative Societies

True copy